न्यायालय उप जिला कलेक्टर , बौली सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – चन्द्र प्रकाश वर्मा , आर ए एस

अपील संख्या 6/21

1. कन्हैया लाल योगी पुत्र स्व0 श्री नारायण उम्र 70 वर्ष
2. रामनिवास योगी पुत्र स्व0 श्री नारायण उम्र 60 वर्ष
3. रामजीलाल योगी पुत्र स्व0 श्री नारायण उम्र 50 वर्ष
4. कैलासी पत्नी स्व0 श्री हजारी उम्र 70 वर्ष
5. छोटा पुत्री स्व. श्री नारायण उम्र 55 वर्ष समस्त जातियान नाथ पेशा काश्तकार निवासीयान हरसोता तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर राज0

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मुकेश पुत्र स्व. श्री सूरज्या उम्र 35 वर्ष
2. गुड्डी पुत्री स्व. श्री सूरज्या उम्र 32 वर्ष
3. ग्यारसी पत्नी स्व. श्री सूरज्या उम्र 60 वर्ष
4. रामपति पत्नी स्व. श्री श्योजी उम्र 55 वर्ष समस्त जातियान नाथ (योगी) निवासीयान हरसोता तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर राज0 हाल निवासी भगवतगढ (तालाब की पाल पर तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान
5. सचिव जरिये ग्राम पंचायत बडागांव सरवर तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 06.02.1973 भरा गया व दिनांक 15.02.1973 को विरासत के आधार पर तस्दीक के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट तहत

उपस्थित–श्री मीठालाल, बच्चूसिंह जाट एडवोकेट , भरतलाल बैरवा अपीलान्टस की और से

श्री ओमप्रकाश सोनी व ओमप्रकाश माली एडवोकेट रेस्पोडेन्टस् की और से

आदेश

दिनांक 23.9.25

अपीलान्टस की और से यह अपील रेस्पोडेन्टस के विरूध्द नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 6.2.1973 पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 4 एक ही परिवार एक ही समाज के व्यक्ति हैं, जिनकी कब्जे काश्त भी पैतृक [illegible] त ग्राम हरसोता में स्थित है। सजरे में बताया कि मंगल्या नाथ हमारे [illegible] नारायण , कल्याण

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Prakash Verma
Date: 2025.10.27 09:53:59 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलेक्टर
बौंली (सवाई माधोपुर)

Scanned with OKEN Scanner

व 2 पुत्री छंगनी , कल्याणी थी। मनफूल नाओलाद फोत हो गये। नारायण नाथ के अपीलान्टस व कल्याण के बंशज – रेस्पोडेण्टस है। इस प्रकार हमारे बाबा की खातेदारी की आराजी अपीलान्ट व रेस्पो. के बीच 1/2, 1/2 का नामान्तकरण होना चाहिये । नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 15.2.1973 में मनफूल पुत्र मंगला की विरासत जमाबंदी खाता संख्याा 73 किता 2 रकबा 24 बीघा 5 विस्वा में मनफूल का हिस्सा 1/3 व खाता संख्या 59 के खसरा नम्बर 260 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा में मनफूल की हिस्सा 1/6 का सुरज्या पुत्र मनफूल के हक में खोला गया । जबकि मनफूल नाऔलाद फोत हुआ है। और नारायण के वंशज अपीलान्ट व कल्याण के बंशज – रेस्पों का 1/2 1/2 हिस्सा खोला जाना चाहिए ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पो. की ओर से ओमप्रकाश सोनी एवं ओमप्रकाश माली ने वकालतनामा पेश किया ।

दिनांक 11.1.2023 को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस असालतन व वकालतन उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया । जिसकी पहचान अधिवक्ता व पक्षकारान द्वारा की गई । राजीनामा सही होना तसलीम करने पर तसदीक कर शामिल मिसल किया गया ।

अपीलान्ट की और से अपनी अपील के समर्थन में ग्राम पंचायत बडागांव सरवर से प्रमाणित सजरा जमाबंदी संख्या 2009 से 2023 खाता संख्याा 89 में खसरा नम्बर 277 रकबा 14 बीघा 14 विस्वा क्रमशः नारायण , कल्याण व मनफूल पिता मंगल्या कोम नाथ हिस्सा बराबर रिकार्ड है। और सम्वत् 2031 से 2034 की जमाबंदी खाता संख्या 82 में खसरा नम्बर 600 रकबा 9 बीघा 2 विस्वा खसरा नम्बर 277 रकबा 14 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम हरसोता में नारायण , कल्याणा पिता मंगल हिस्सा 2/3 व सुरज्या पुत्र मनफूल हिस्सा 1/3 दर्ज है। लेकिन शुद्धी पुत्र के आधार पर खसरा नम्बर 600 रकबा 9 बीघा 7 विस्वा पर नारायण व कल्याण मनफूल पिता मंगल का हिस्सा 1/3 दुरूस्त किया गया । जो सम्वत् 2035 से 2038 में भी दुरूस्त किया गया और नारायण के इंतकाल पर नामान्तकरण सम्वत् 284 दिनांक 15.2.2038 से इसके वारिस अपीलान्ट के नाम खोला गया।

इस प्रकार जमाबंन्दी सं. 2009 से 2023 खाता संख्या 124 खाता संख्या 199 से नारायण , कल्याण , मनफूल पिता मंगल्या जाति नाथ होकर सिद्ध है। विवाद केवल यह कि मनफूल लाऔलाद फोत हुआ है। जिसकी विरासत आलोच्य नामान्तकरण से केवल सुरज्या पुत्र मनफूल के हक में खोल दिया। जबकि मनफूल लाऔलाद फोत हुआ है। और सुरज्या मनफूल का पुत्र न होकर कल्याण का है। इस प्रकार मनफूल का हिस्से की आराजीयात का नामान्तकरण इनके वारिस नारायण व कल्याण के वारिसान में बराबर – बराबर का नामाान्तकरण तस्दीक किया जाना चाही है।

चूंकि प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। जो उक्त ... है। अतः हमारे विनम्र अभिमत् में लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा ... स्वीकार किया जाना विधिसम्मत है राजीनामा निर्णय का अंश रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Prakash Verma
Date: 2025.10.27 09:53:59 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बौंली (सवाई माधोपुर)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेश्च में अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार कर आलौच्य नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 15.2.73 निरस्त किया जाकर तहसीलदार बौंली को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में गुणावगुण पर उभयपक्षों की सुनवाई की जाकर विधिवत नियमानुसार कार्यवाही संपादित करे।

कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.

उपखण्ड कलेक्टर
बौंली (सवाई माधोपुर)

आदेश आज दिनांक 23.9.25 को निवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया ।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.

उपखण्ड कलेक्टर
बौंली (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Prakash Verma
Date: 2025.10.27 09:53:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner